

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2023—आषाढ़ 9, शक 1945

जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 जून 2023

क्र. 881-879285-2022-पच्चीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1969 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. अनुसूची-एक में, अनुक्रमांक 9 में, शीर्षक “(क) प्रशासन” के अधीन, अनुक्रमांक (8) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

“अनुसूची-एक

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(9) कार्यपालन यंत्री	01	प्रथम-श्रेणी	67300-206900.”

2. अनुसूची-दो में, अनुक्रमांक 9 में, शीर्षक “(क) प्रशासन” के अधीन, अनुक्रमांक (8) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात् :-

“अनुसूची-दो

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशतता			अभ्युक्ति
				नियम 6(1) (क) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा	नियम 6(1) (ख) के अधीन पदोन्नति द्वारा	नियम 6(1) (ग) के अधीन अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
-	-	(9) कार्यपालन यंत्री	01	-	100%	-	-.”

3. अनुसूची-चार में, अनुक्रमांक दस में, मद क्रमांक (ग) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-

“अनुसूची-चार

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	आगामी उच्चतर पद हेतु अर्हित होने हेतु न्यूनतम कालावधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(ग क) सहायक यंत्री	03 वर्ष	कार्यपालन यंत्री	(1) अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट आयोग का कोई सदस्य— अध्यक्ष (2) अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव — सदस्य (3) आयुक्त, जनजाति कार्य, मध्यप्रदेश— सदस्य.”

No. 881-879285-2022-XXV-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Tribal, Scheduled Castes and Backward Classes Welfare (Gazetted) Service Recruitment, Rules, 1969, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules, —

1. In Schedule-I, in serial number 9, under the heading "(A) Administration", after serial number (8) and entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be added, namely :—

"SCHEDULE-I

S. No.	Name of the post included in the service	Total number of posts	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(9) Executive Engineer	01	Class-I	67300-206900."

2. In Schedule-II, in serial number 9, under the heading "(A) Administration", after serial number (8) and entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be added, namely :—

"SCHEDULE-II

S. No.	Name of the Department	Name of the Service	Total Number of Posts	Percentage of Number of posts to be filled in			Remarks
				By direct recruitment under rule 6(1) (a)	by Promotion under rule 6(1) (b)	By transfer of persons from other services under rule 6(1)(c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
--	--	(9) Executive Engineer	01	--	100%	--	--"

3. In Schedule-IV, in serial number X, after item number (c) and entries relating thereto, the following item number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"SCHEDULE-IV

Name of the Department	Name of the service or post from which promotion is to be made	Minimum period to qualify to the next highest post	Name of the service or post to which promotion is to be made	Name of the members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
--	(ca) Assistant Engineer	03 Years	Executive Engineer	1. The Chairman, Madhya Pradesh Public Service Commission or any Member of the Commission nominated by him— Chairman 2. Additional Chief Secretary/Principal Secretary / Secretary— Member 3. Commissioner, Tribal Affairs, Madhya Pradesh— Member."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दिशा प्रणय नागवंशी, उपसचिव.